न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 182/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर–302004, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अमित शर्मा।

प्रार्थी

बनाम

1. रघुनाथ सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी 17 मुख्य ग्राम लाडली का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी 17 मुख्य ग्राम लाडली का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. पूरण सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम लाडली का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. जगदीश सिंह पुत्र पेप सिंह निवासी 51 मुख्य ग्राम लाडली का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा।
5. रघुराज सिंह पुत्र भंवर लाल निवासी बाग वाली ढाणी, लाडली का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री चन्द्रमोहन जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

दिनांकः 01.10.2019

आदेश

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री रघुनाथ सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी 17 मुख्य ग्राम लाडली का बास, डोब जागीर, तहसील लालसोट जिला दौसा व अन्य को 4,00,000/–(रूपये चार लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा बंधक रखी गई अप्रार्थी रघुनाथसिंह पुत्र मोहनसिंह की सम्पत्ति आबादी भूमि पट्टा सं0 54 बुक नं.10 मिसल सं. 64 दिनांक 20.2. 2017 क्षेत्रफल 240 वर्गगज(2160 वर्गफिट) जिसके पूर्व में पूरणसिंह का बाड़ा, पश्चिम में हनुमानसिंह का कच्चा मकान, उत्तर में स्वयं का बाड़ा व दक्षिण में 20 फिट आम रास्ता स्थित ग्राम पंचायत डोब जागीर पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official